

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 171/16.17

अपर सगाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजवाला वर्गा मुख्य राचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेश कुमार खारकी को अंचल निरीक्षक श्री तारुण शर्मा दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा जमुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/41 दाग नं0 32 रकवा 02-01-12 किस्म परती कुदम श्री कुलदीप हरजन पिता कैल हरजन साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री कुलदीप हरजन को दिनांक 14/9/16 समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति संत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।



30/8/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

21/7/2016
~~21/7/16~~

अभिलेख (उपस्थानित)

युक्त नोटिश निर्गत करें।


अंचल अधिकारी,
महागामा।

sandha

अभिलेख उपस्थापित।
 राजस्व उपनिरीक्षक - मह-प्रभाती मंचल निरीक्षक,
 महागामा से प्रलेखन अर्थात् का गैरिफ प्रविष्टन के साथ
 अभिलेखीय प्रविष्टन प्राप्त हुआ है, जिसका आवधिकता किता
 प्रविष्टनानुसार आवधिकता प्रविष्टन पंजी II खेपत को भूमि
 लक्ष्य पहाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त
 भूमि डेवीय एल. ए. सी. क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र
 के अंतर्गत है।

उक्त उपरोक्त के कारणों में अभिलेख
 को कार्टवाइ समाप्त की जाती है।

लेखापि
 13/6/2021
 महागामा

13/6/2021
 आवधिकता अधिकारी
 महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ..171.../2016-17 कुलदीप एडिजिन पिता-
कैलू एडिजिन, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

05/11/2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या
..171.../2016-17 कुलदीप एडिजिन पिता-कैलू एडिजिन, का जांच
प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना
नं0-692 के गैरमजरूआ खाता सं0-24/..41... के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा
02-01-12 धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल
महाधिकारी, गोड्डा के R.S. केश नं0-58/1962-13 के माध्यम से
कुलदीप एडिजिन पिता-कैलू एडिजिन को प्राप्त हुआ है, जिसकी
छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

